

**राजस्थान सरकार
निदेशालय पर्यटन विभाग**

पर्यटन भवन, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, एम आई रोड, जयपुर
दूरभाष नं. 0141-2822800, 2822809 ई-मेल cot-dot@rajasthan.gov.in/ hotel-dot@rajasthan.gov.in

क्रमांक: F9 () INV/DT/Online service/2026-05583/8866842 दिनांक: ई-हस्ताक्षर

—: परिपत्र :—

राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) स्कीम, 2026 (Rajasthan Homestay (Paying Guest House) Scheme, 2026) के अन्तर्गत होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) के पंजीकरण/नवीनीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। राजस्थान राज्य में होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) के पंजीकरण/नवीनीकरण आवेदन केवल Rajasthan Single Sign On (<https://sso.rajasthan.gov.in/signin>) के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किये जाएंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

(रुक्मणी रियाड़)
आयुक्त, पर्यटन

क्रमांक: F9 () INV/DT/Online service/2026-05583/8866842 दिनांक: ई-हस्ताक्षर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं —

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पर्यटन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (निवेश एवं ट्रेड), पर्यटन विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक, एसीपी, आईटी, पर्यटन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख ही क्षेत्रीय अधिकारियों हेतु ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।
5. प्रभारी अधिकारी, समस्त, पर्यटक स्वागत केन्द्र/सूचना केन्द्र।
6. नोटिस बोर्ड।

